न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारी –हेमराज गुर्जर (R.A.S.)

मुकदमा नं0 :– 60 / 2022 तारीख रजू :– 04.10.2022

मिसल नम्बर :–2022 / 624

उनवान

ओमप्रकाश पुत्र चिरंजी लाल जाति जाटव निवासी हिण्डौन सिटी हाल अम्बेडकर धर्मशाला के पास, गंगापुर सिटी

—— प्रार्थी

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील कार्यालय हिण्डौन सिटी

———— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू–राजस्व अधिनियम की धारा 128 बाबत पत्थरगढी

उपस्थित:– 1. नरेन्द्र वर्मा वकील प्रार्थी

निर्णय

दिनांक :– 2-7-2024

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थी द्वारा अपनी पैतृक खातेदारी भूमि हाल खसरा नम्बर 4681 रकबा 0.35 है0, 4687 रकबा 0.70 है0 स्थित जलसेन हिण्डौन सिटी के संबंध में अन्तर्गत धारा 183 बी आर.टी.एक्ट. के तहत एक प्रार्थना पत्र मु.न. 103 / 2019 न्यायालय तहसीलदार हिण्डौन के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए दिनांक 23.03.2020 को प्रार्थी के पक्ष में निर्णत पारित करते हुए अतिक्रमियों को बेदखल कर कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द किए जाने के आदेश फरमाये गये थे। न्यायालय तहसीलदार हिण्डौन के आदेश दिनांक 23.03.2020 की पालनार्थ प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर राजस्व [illegible] तहसील हिण्डौन द्वारा दिनांक 25.05.2022 को प्रार्थी को [illegible] रिपोर्ट तैयार की गयी। जिसकी प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.04 13:11:32 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अधिकारियों द्वारा कब्जा सुपुर्द किए जाने के पश्चात प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 4681 रकबा 0.35 है0, 4687 रकबा 0.70 है0 स्थित जलसेन हिण्डौन की सुरक्षार्थ पत्थरगढी करवाया जाना नितांत आवश्यक है, जिससे की प्रार्थी की

उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी (करौली)

भूमि को अतिक्रमियों से सुरक्षा प्रदान की जा सके। प्रार्थी पत्थरगढी के खर्चे को वहन करने के लिये सहर्ष तैयार है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तबल किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन को जबाब हेतु लगातार कई अवसर देने के बाबजूद पेरोकार सरकार द्वारा जबाब पेश नहीं किया गया आदेशिका दिनांक 24.06.2024 द्वारा पेरोकार सरकार का जबाब बन्द किया गया। उक्त आराजी खसरा न0 4681 व 4687 रकबा 1.05 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन दिनांक 25.05.2022 को भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त हिण्डौन एवं हल्का पटवारी हिण्डौन व गठित टीम द्वारा सीमाज्ञान कर कब्जा दिलवाया दिया गया।

प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2071–74, नकल फर्द मौका रिपोर्ट कस्बा हिण्डौन दिनांक 25.05.2022 पेश किये है। प्रार्थीगण वकील स्वंय उपस्थित। प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और अवगत कराया है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 4681 व 4687 रकबा 0.35 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन का पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार हिण्डौन को फरमावें।

प्रार्थीगण वकील को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2071–74, के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 4681 व 4687 रकवा 1.05 है0 ओमप्रकाश पुत्र चिंरजी हिस्सा 1/4, पुष्पा देवी पुत्री चिंरजी लाल हिस्सा 1/4, शांतिदेवी पुत्री चिंरजी लाल हिस्सा 1/4, शिवदयाल पुत्र चिंरजी हिस्सा 1/4, जाति जाटव सा. ग्राम खातेदार वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

नकल फर्द मौका रिपोर्ट वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन दिनांक 25.05.2022 में अंकित किया है कि आज दिनांक 25.05.2022 को मुताविक आदेश ब हमराह गिरदावर हिण्डौन व हमराह पटवारी हिण्डौन [illegible] कस्बा हिण्डौन के खसरा नम्बर 4681 व 4687 रकवा 1.05 है0 पर उपस्थित [illegible] मौके पर पडोसी खातेदारों को बुलवाया गया प्रार्थीगण को खसरा नं0 4681 व 4687 का मुक्तकिल बिन्दुओं से जरीब व फीता चलाकर सीमाऐ समझायी जाकर सीमाचिन्ह कायम कराये गये मौका पर्चा पढकर सुनाया गया एवं उपस्थित लोगों के हस्ताक्षर कराये ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.04 13:11:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 4681 व 4687 रकवा 1.05 है0 का पुनः सीमाज्ञान करते हुए पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार हिण्डौन को दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसे हालात में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र भू–राजस्व अधिनियम की धारा 128 के तहत स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि आप मौके पर पहुँचकर विवादित आराजी खसरा न0 4681 व 4687 रकवा 1.05 है0, वाके कस्बा हिण्डौन का मौके पर सीमाज्ञान करवाते हुए पत्थरगढी करावें, सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की कार्यवाही करने से पूर्व तारीख एवं समय निश्चित करते हुए खसरा नम्बर 4681 व 4687 रकवा 1.05 है0 के सभी खातेदारों को मौके पर उपस्थित रहने हेतु नोटिस जारी करें तथा प्रार्थीगण को आदेशित किया जाता है कि पत्थरगढी की नियमानुसार फीस तहसीलदार हिण्डौन के यहाँ 7 दिवस में जमा करावें। पालना रिपोर्ट तहसीलदार हिण्डौन एक माह में इस न्यायालय में पेश करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 02.07.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 2/7/24
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.04 13:11:32 IST
Reason: SelfAttested